के नाम दर्ज की गई। तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भाराजिगर को
जरिये नामान्तरण संख्या 1240 से बैंक आफ बड़ौदा शाखा भिनाय
के रहन रखी गई। तथा प्रार्थी ने उक्त भाराजिगर को बैंक के पास
रखकर लोन भी प्राप्त किया गया किन्तु ग्राम भगेली राजस्व
में भोलीराम पिता डूडा गुर्जर तथा भोलिया पिता डूडा गुर्जर
का नाम मिलता-जुलता होने से भोलिया पिता डूडा की मृत्यु
हुई जिस पर निवासरत का नामान्तरण संख्या 1406 खोला गया
जिसमें प्रार्थी की उक्त भाराजी का भी नामान्तरण भोलीया पिता
डूडा के वारिसान के नाम भाराजीगर को दर्ज कर दी गई
जबकि भोलीराम पिता डूडा व भोलिया पिता डूडा वर्तमान में जीवित है
भला व्यक्ति है तथा भोलीराम पिता डूडा ने भूमि है तथा भोलिया पिता
डूडा के वारिसपप्पु लाल की मृत्यु हो जाने पर इंतकाल सं.
1435 दर्ज कर पप्पु लाल के वारिसान को भी खातेदार बना
दिया गया है। पटवारी हल्का भगेली राजस्व द्वारा नामान्तरण
सं. 1406 खोलते समय आराजी नम्बर 1580/1049 रकबा 0.5950
हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण निवासरत का खोल दिया गया है। (जबकि
प्रार्थी वर्तमान समय में जीवित है। राजस्व कर्मियों द्वारा भूल
से तथा मृतक व प्रार्थी का नाम मिलता-जुलता होने से नामान्तरण
दर्ज हो गया है जिसको खोला किया जाना आवश्यक है। खाता से
नामान्तरण संख्या 1406 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को
भोलिया पिता डूडा के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया
जिसको सुधार कर प्रार्थी की आराजीगर को प्रार्थी द्वारा क्रय की
गई है उसको सुतः प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पेश किया
गया है। संलग्न प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार डूंगला को जरिये समन नोटिस से जवाब
भूमिधरी प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक
राजस्व/2024/26 दिनांक 8/1/2026 के द्वारा प्रार्थना पत्र में
वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जो इस
प्रकार से है :-
ग्राम भगेली राजस्व की आराजी नम्बर 1580/1049
रकबा 0.5950 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी भोलीराम पिता डूडा काबिज
काश्त है। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने
नामान्तरण संख्या 730 दिनांक 19-6-2002 के द्वारा प्रार्थी भोलीराम
डूडा गुर्जर के नाम दर्ज हुई है। तथा प्रार्थी द्वारा रकम
न देने से इसको बैंक आफ बड़ौदा शाखा भिनाय के जरिये
ऋण सं. 1240 दिनांक 3-6-2012 को [illegible]
राजस्थान में निवासरत भोलिया पिता डूडा गुर्जर [illegible]
नामान्तरण संख्या 1406 दिनांक [illegible]
वारिसान रामलाल, सोसर, रामी पिता भोलिया ना. राहुल
काजल पिता पप्पु लाल, रामी पत्नि पप्पु लाल गुर्जर
की आराजी नम्बर 1580/1049 का भी राजस्व

पिनाई में रहन से गलत दर्ज से गई है। एक पक्ष वसूल
बन गिरवी में आराजी नम्बर 1043/1 का बटे नम्बर
1580/1049 से गया है। ग्राम भगेली राजस्व में बहुत जांच
मौकमिस्ल के सुझाव करने पर भी जाहिर आया कि
ग्राम भगेली राजस्व में भोलीराम पिता डूडा गुर्जर व
भोलिया पिता डूडा गुर्जर दोनों अलग-अलग व्यक्ति है
प्रार्थी भोलीराम पिता डूडा जीवित है एवं भोलीया पिता
डूडा गुर्जर की मृत्यु हो जाने से निवासरत के नामान्तरण
खोलते समय इन दोनों का नाम मिलते-जुलते होने से
भोलीराम पिता डूडा गुर्जर की आराजी नम्बर 1580/1049
रकबा 0.5950 हेक्टेयर भूमि को नामान्तरण 1406 के द्वारा
भोलीया पिता डूडा के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया
गया है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट का
एवं प्रार्थना पत्र का एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड रमवे
जमाबंदी, नामान्तरण संख्या 730, 1240, व 1406 आदि
का गहनतापूर्वक अवलोकन कर परीक्षण किया गया
परीक्षण उपरान्त वकील प्रार्थी को सुना गया।
वकील प्रार्थी ने तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट
के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भोलीया के वारिसान के
नाम दर्ज हुए नाम को विलोपित कर प्रार्थी का नाम
राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का कथन किया गया।
उपरोक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम भगेली राजस्व के
खाता संख्या 317 में वर्णित आराजी नम्बर 1580/1049
रकबा 0.5950 हेक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान समय में
मृतक भोलीया के वारिसान रामलाल, सोसर, रामी पिता
भोलीया ना. बा. राहुल, ना. बा. पायल, काजल पिता पप्पु व
रामी पत्नि पप्पु लाल गुर्जर का नाम राजस्व रिकार्ड से
हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। इसके स्थान
पर भोलीराम पिता डूडा गुर्जर राजस्व रिकार्ड में
दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय
खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया
आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली कैश
शुमार बैक्ड नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 12:53:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner